न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —63/2025 (अपील)

GCMS No.- 2025/92

1. जसविन्दर सिंह आत्मज श्री मनजीत सिंह जाति सिक्ख, निवासी मवासा रोड, नहर के पास, वार्ड नम्बर 10, कैथून, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. कुलदीप कौर पुत्री श्री मनजीत सिंह पत्नी श्री राजवीर सिंह जाति सिक्ख निवासी म0नं0 137, न्यू बी.एस.एफ. छोगावन रोडद्व अजनाला, अमृतसर (पंजाब)
3. प्रदीप सिंह आत्मज श्री मनजीत सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 10, नहर के किनारे, कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

जरिये बहैसियत मुख्तार प्रार्थी नम्बर 1 व 2

प्रदीप सिंह आत्मज श्री मनजीत सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 10, नहर के किनारे, कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. दलजीत कौर पत्नी श्री अजमेर सिंह पुत्री भजन सिंह, निवासी रंगपुर रोड, नयागांव किशनपुरा तकिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0
2. अमरीक सिंह आत्मज श्री भजनसिंह, निवासी ग्राम जगन्नाथा, तहसील केशोरायपाटन जिला बूंदी राज0
3. बलजीत सिंह आत्मज श्री भजन सिंह, निवासी ग्राम जगन्नाथ, तहसील केशोरायपाटन जिला बूंदी राज0
4. राजवीर कौर पत्नी श्री मनोहर सिंह पुत्री श्री भजनसिंह निवासी पंजाबियों का बरडा ग्राम चेंता, तहसील हिण्डोली, जिला बूंदी राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व इन्तकाल नं0 1003 दिनांक 18.04.2024

उपस्थितः—

1. श्री ललित नागर, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक—०६.01.2026

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गंगायचा स्थित खाता संख्या 212 की आराजी खसरा नं0 652/56 रकबा 0.53 हे0 हिस्सा पूर्ण खातेदार भजन सिंह पुत्र श्री बनता सिंह के खातेदारी में दर्ज थी । खातेदार भजन सिंह फौत होने पर तहसीलदार लाडपुरा ने मृतक खातेदार के वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 1003 दिनांक 18.4.2024 स्वीकृत किया गया ।
2. उपरोक्त नामान्तकरण सं0 1003 दिनांक 18.04.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 19.06.2025 को लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि ग्राम गंगायचा, पटवार मण्डल रंगपुर तहसील लाडपुरा में अपीलांट्स के नाना स्वर्गीय भजन सिंह पुत्र श्री बनता सिंह की खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 212 के खसरा नम्बर 652/56 की रकबा 0.5300 हे0 स्थित रही है, जिनके स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा अपने पति अजमेर सिंह के साथ

मिलीभगत कर हल्का पटवारी को अपने षडयंत्र में शामिल कर वारिसान की वास्तविक सूचना को छुपाते हुये गलत जांच रिपोर्ट करवाते हुये अकेले रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 का नाम फौती नामान्तरकरण संख्या 1003 दिनांक 18.4.2024 अपीलांट भजन सिंह के वारिसान की वास्तवितक रिपोर्ट प्रस्तुत करवाये विना अवैध व गैर कानूनी तरीके से तस्दीक करवा लिया है । आदेश एवं नामान्तरकरण जैर अपील न्याय एवं संचिका में सिद्वि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलवी हेतु रजिस्टर्ड डाक से सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट नम्बर नं0 1 की ओर से अभिभाषक श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी का वकालतनामा पेश हुआ, शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 गत दो पेशियों से लगातार अनुपस्थित चल रहे है । रेस्पोडेन्ट नम्बर बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलांट के नाना भजन सिंह जी का स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके विधिक वारिसान के रूप में दो पुत्र अमरीक सिंह व बलजीत सिंह तथा तीन पुत्रियां बलजीत कौर, राजवीर कौर व निर्मल कौर है । निर्मल कौर का स्वर्गवास हो जाने से उसके वारिसान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 3 भजन सिंह जी के विधिक वारिसान चले आ रहे है, जिसकी पुष्टि अपीलांट के नाना जी की खातेदारी की भूमि ग्राम जगन्नाथा, पटवार हल्का माधोराजपुरा, तहसील केशोरायपाटन, जिला बूंदी में स्थित खाता संख्या 51 की व ग्राम बालीता, पटवार हल्का माधोराजपुरा तहसील लाडपुरा में स्थित खाता संख्या 154 व 156 व खाता संख्या 158 एवं खाता संख्या 155 इत्यादि की भूमि के राजस्व रिकार्ड में नाना भजन सिंह जी के स्वर्गवास के बाद तस्दीक किये गये नामान्तरकरण से होती है जिसके तहत अपीलान्ट का नाम भजनसिंह जी के विधिक वारिसान के रूप में दर्ज किया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट भजन सिंह जी की पुत्री निर्मल कौर के पुत्र पुत्रियां विधिक वारिस चले आ रहे है और इस तथ्य की जानकारी रेस्पोडेन्ट दलजीत कौर व उसके पति अजमेर सिंह व हल्का पटवारी रंगपुर को स्पष्ट रूप से रही है । अपीलांट के नाना भजन सिंह जी की खातेदारी की भूमि ग्राम जगन्नाथ व ग्राम बालीता, तहसील केशोरायपाटन जिला बूंदी के अलावा कोटा शहर के नजदीक ग्राम गांवडी व गंगायचा, पटवार हल्का रंगपुर, तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 657 की रकबा 0.18 हे0 व खसरा नम्बर 520 की रकबा 0.20 हे0 व खसरा नम्बर 652/56 की रकबा 0.53 हे0 स्थित रही है जिसके राजस्व रिकार्ड में नाना भजन सिंह जी के स्वर्गवास के बाद दलजीत कौर पत्नी श्री अजमेर सिंह व अजमेर सिंह पुत्र श्री बागसिंह निवासी रंगपुर रोड नयागांव किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा के द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी हल्का रंगपुर तहसील लाडपुरा के साथ मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र रचते हुये नाना भजन सिंह जी के स्वर्गवास के बाद उनकी खातेदारी की भूमि ग्राम गंगायचा व गांवडी के राजस्व रिकार्ड में केवल मात्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 को भजन सिंह जी का वारिसान बताकर प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जहां से हल्का पटवारी से दिनांक 8.2.2024 को भजन सिंह जी के वारिसान की जांच रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट्स ने गवाहान मुकुट सिंह पुत्र खेमराज सिंह जाति गुर्जर निवासी रेलेगढा की चौकी रंगपुर कोटा एवं जगजीत सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जट सिक्ख निवासी नया गांव किशनपुरा कोटा तथा फूलचंद आत्मज श्री चन्दू जाति जट सिक्ख निवासी गंगायचा, तहसील लाडपुरा को अपने साथ षडयंत्र में शामिल करते हुये केवल मात्र भजन सिंह जी के वारिसान रेस्पोउेन्ट्स को होना बताकर और अपीलांट की माता निर्मल कौर व उसके स्वर्गवास के बाद अपीलांट जो कि भजन सिंह जी के वारिसान होने के बावजूद उनका नाम जांच रिपोर्ट से वारिसान की सूची में अंकित नहीं करवाकर और उक्त अवैध रिपोर्ट दिनांक 8.2.2024 हल्का पटवारी व गवाहान के साथ षडयमंत्र कर तैयार करवाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करवाते हुये नामान्तरकरण संख्या 1003 दिनांक 18.4.2024 तस्दीक करवा लिया जो अवैध व गैर कानूनी रूप से मिलीभगत करते हुये तस्दीक करवाये जाने से निरस्तनीय है । रेस्पोडेन्ट्स ने यह

जानते हुये कि भजन सिंह जी की एक पुत्री निर्मल कौर है जिसके वारिसान अपीलांट है और उनका नाम भी भजन सिंह जी के स्वर्गवास के बाद उनकी खातेदारी की भूमि ग्राम गंगायचा व ग्राम गांवडी तह0 लाडपुरा कोटा की भूमि में दर्ज किया जाना चाहिये । इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलांट की सम्पत्ति को छल कपट व धोखाधडी के तहत हडप करने के षडयंत्र के तहत अपीलांट को भजन सिंह जी का वारिसान होने के बावजूद इस तथ्य को छुपाकर हल्का पटवारी से वास्तविक वारिसान को छुपाकर जांच रिपोर्ट दिनांक 8.2.2024 प्रस्तुत करवाते हुये अवैध व गैर कानूनी रूप से नामान्तरकरण संख्या 1003 स्वीकृत करवा लिया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

- अपीलांट का नाम नाना भजन सिंह जी के स्वर्गवास के बाद ग्राम जगन्नाथ व ग्राम बालीता, पटवार हल्का माधोराजपुरा तहसील केशोराय पाटन, जिला बूंदी में स्थित खातेदारी की भूमि में बतौर वारिसान फौती नामान्तरकरण तस्दीक करते हुये खातेदार के रूप में दर्ज किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये बिना व उनकी उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किये बिना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विरूद्व जाकर वारिसान की वास्तविक जांच किये बिना अकेले रेस्पोडेन्ट्स के नाम फौती नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलांट का नाम भी बतौर वारिसान हिस्सा 1/15, 1/15 के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तवितक वारिसान की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

- रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व उसके पति के मन में बदनियती थी और उन्होने बदनियती के तहत वाद वर्णित भूमि कोटा शहर के नजदीक होने से भूमि की कीमत बहुत ज्यादा होने के कारण भूमि को बेचान करते हुये खुर्द बुर्द कर देने के दुर्भाविक आशय से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने पहले तो फौती नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 4 के नाम खुलवाया और फिर उसके बाद रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 4 से अवैध व गैर कानूनी तरीके से हक त्याग करवाते हुये अकेले अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाकर भूमि को बेचान करते हुये खुर्द बुर्द करने हेतु लोगों को दिखा रही है जिससे कि अपीलांट के हक हिस्सें की भूमि को बेचान कर उन्हें उनके हक हिस्से से वंचित किया जा सकें, जिसका रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

- अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 25.5.2025 को रेस्पो0 नं0 2 व 3 द्वारा गांव जगन्नाथा में जाने पर दी गई और बताया गया कि नाना भजन सिंह जी के बाद अपीलांट का नाम ग्राम जगन्नाथ व ग्राम बालीता की भूमि में अपीलांट का नाम तो दर्ज हो गया परंतु ग्राम गंगायचा व ग्राम गांवडी की भूमि पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व उसके पति अजमेर सिंह द्वारा तहसील कार्यालय से मिलीभगत कर भूमि में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं होने दिया और यही नहीं बल्कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 4 के नाम गलत रूप से दर्ज करवाली है । इस पर अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल ऑन लाईन दिनांक 12.6.2025 को प्राप्त होने प्रथम बार उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा खाता संख्या नया 212 के खसरा नम्बर 652/56 की रकबा 0.5300 हे0 वाके ग्राम गंगायचा, पटवार हल्का रंगपुर तहसील लाडपुरा के सम्बन्ध में स्वीकृत किया गया फौती नामान्तरकरण संख्या 1003 दिनांक 18.4.2024 निरस्त फरमया जावें एवं अपीलांट को भजन सिंह जी का वारिसान होने से नवीन रूप से फौती नामान्तरकरण वारिसान की जांच कर अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

5. हमने अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के फौती नामान्तकरण संख्या 1003 दिनांक 18.04.2024 के विरूद्व दिनांक 19.06.2025 को लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है, अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1003 दिनांक 18.4.2024 की

की प्रथम जानकारी 25.5.2025 को अपीलांट के ग्राम जगन्नाथ में जाने पर तथा रेस्पो0 नं0 2 व 3 द्वारा बताने पर हुई तथा ऑन लाईन नकल दिनांक 12.6.2025 को प्राप्त होना अपीलांट ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र शपथ पत्र में अंकित किया है । अपीलांट ने यह अपील दिनांक 19.6.2025 को प्रस्तुत हुई है । मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में धारा 5 के प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया और ना ही अपील में बहस हेतु प्रस्तुत हुए है । लिमिटेशन के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में हस्तगत अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना सगीचीन होने से अपील प्रस्तुत करने में यदि कोई विलम्ब भी हुआ है तो क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानते हुए अपील का निर्णय गुणावगुण किया जा रहा है ।

6. प्रस्तुत अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने यह तथ्य प्रकट किये है कि खातेदार स्वर्गीय भजन सिंह जी कीग्राम गंगायचापटवार मण्डल रंगपुर में खाता संख्या 212 की खसरा नम्बर 562/56 हे0 रकबा 0.5300 हे0 भूमि स्थित है जिसका खातेदार के स्वर्गवास होने के बाद रेस्पोडेन्टगण के नाम नामान्तरकरण संव 1003 स्वीकृत कर दिया गया है जबकि अपीलांटगण की माता निर्मल कौर खातेदार भजनसिंह जी की जायन्दा पुत्री थी उनका नाम इस नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया है । इसके अलावा ग्राम जगन्नाथ पटवार हल्का माधोराजपुरा तहसील केशोरायपाटन जिला बूंदी में स्थित खाता संख्या 51 की व ग्राम बालीता तहसील लाडपुरा स्थित खाता संख्या 154, 155, 156 व 158 की भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाना भजन सिंह जी के स्वर्गवास के बाद तस्दीक किये गये नामान्तरकरणों में अपीलांटगण का नाम दर्ज होने से अपीलांटगण खातेदार भजन लाल जी के विधिक वारिस होना प्रमाणित है । अपीलांट ने प्रस्तुज जमाबंदी जगन्नाथा की खाता सं0 51 वर्ष 2021 से अपीलांट के कथनों की पुष्टि होती है, इस जमाबंदी में विरासत के नामान्तरकरण संख्या 461 दिनांक 13.5.2025 से मृतक खातेदार भजनलाल जी के अन्य विधिक वारिसान के साथ अपीलांटगण का भी 1/15 हिस्से में नाम दर्ज है । इस प्रकार अपीलांट के कथनों एवं प्रस्तुत तर्को में बल होने से अपीलांटगण अपीलाधीन नामान्तरकरण में मृतक खातेदार भजनलाल जी के वारिस होने से तथा अन्य गांव जगन्नाथपुरा तह0 केशोराय पाटन में 1/15 हिस्सा दर्ज होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण में भी दर्ज होना विधि अनुरूप है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाते है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली में मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 1003 दिनांक 18.04.2024 अपास्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को इस आदेश के साथ प्रतिपेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार भजनलाल जी की ग्राम गंगायचा स्थित भूमि में खाता संख्या 212 में विरासत की जांच करते हुए विधिक वारिसान के नाम नवीन नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 06 .01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा